यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार के माह 08/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो कि श्री सन्तोष कुमार गुप्ता व पवन कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री साहिल जोली (वरि0 लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 01.01.2021 से 13.01.2021 तक श्री के0 एल0 भट्ट (वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री कुलदीप कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री प्रमोद कुमार (वरि0 लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 09.08.2018 से 25.08.2018 तक श्री राकेश कुमार (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 11/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशों के अनुपालन में निधियां आवंटित, लेखाबद्ध एवं उपभोग की गयी हैं एवं विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कार्यक्रम का क्रियान्वयन पारदर्शी हैं। कार्यालय का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफ़एसए) के अंतर्गत संचालित अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजनाओं के साथ राज्य खाद्य योजना के जिलास्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण है।

(ब) कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद है।

(स) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वर्ष			**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (08/2020 तक)**
प्रारम्भिक अवशेष			0.00	0.00	0.00
प्राप्तियाँ			-	-	
केंद्रान्श			-		
राज्यान्श			736.00	324.35	18.35
अन्य (अधिष्ठान/निगम)			--	---	---
कुल उपलब्ध राशि			736.00	324.35	18.35
व्यय (GAH 2408, 4408, 3456)			643.765	14.092	11.275
अंतिम अवशेष			92.235	310.258	7.075
***ग्लोबल बजट**	**व्यय**	वेतन	0.000	135.393	82.414
		विद्युत	0.000	0.364	0.00
ग्लोबल बजट कुल व्यय			0.000	135.757	82.414

*नोट- वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 मे वेतन तथा विद्युत देय मदों मे बजट कार्यालय स्तर पर सीधे नहीं प्राप्त हुआ, अपितु मुख्यालय के स्तर पर ग्लोबल बजट के रूप मे रक्षित रहा। वेतन तथा विद्युत देयकों का भुगतान ग्लोबल बजट से किया गया।

इकाई को बजट शासन (राज्य सरकार, उत्तराखण्ड) से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

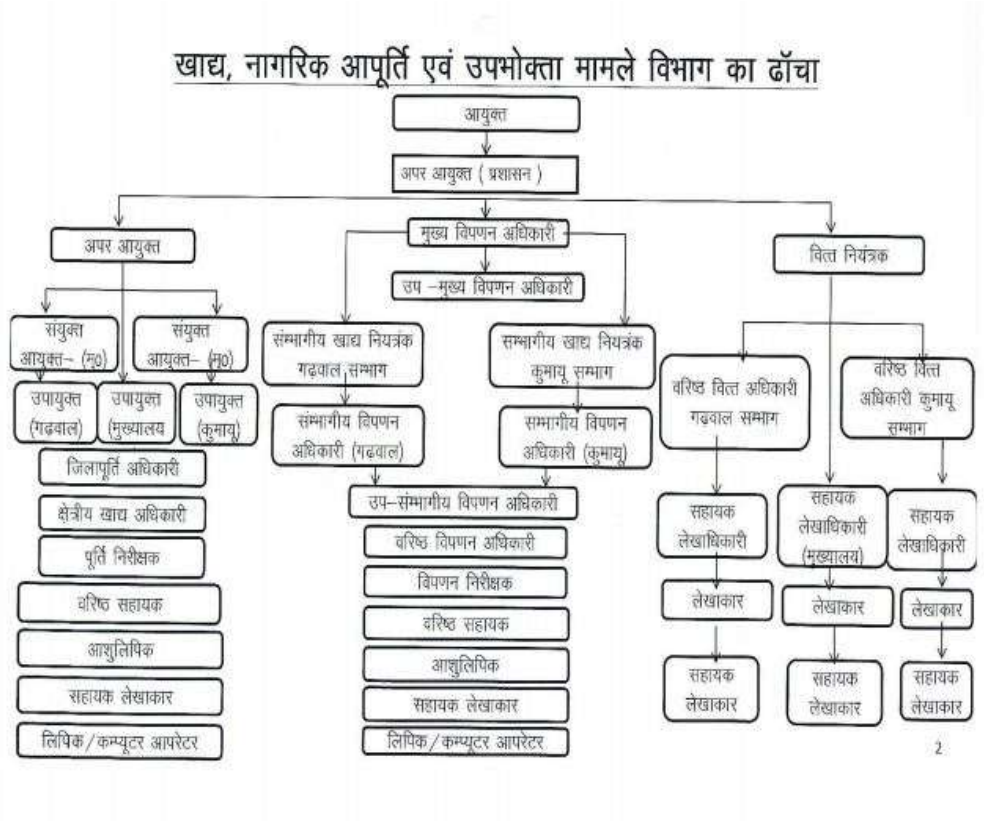

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2019 एवं 01/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 01: 243.761 हजार लीटर केरोसिन तेल अवितरित/अनिस्तारित रहने का प्रकरण ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वर्ष 2019-20 के केरोसिन तेल के उठान/वितरण के अभिलेखों/आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि केरोसिन तेल का वितरण प्रत्येक माह मे नहीं किया गया था, जबकि 243.761हजार लीटर केरोसिन तेल (संलग्नक-A) विगत दो वर्षों से अवितरित है और वर्तमान (दिसम्बर 2020) तक वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। ऐसे मे, भंडारण लागत एवं भंडारण हानि का प्रकरण दृष्टब्य हो सकता है।

उपरोक्त के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे अवगत कराया कि केरोसीन तेल का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है एवं थोक विक्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर भंडारण किया जाता है। वर्तमान मे केरोसीन तेल वितरण की योजना बन्द हो चुकी है। अवशेष तेल के निस्तारण के सम्बंध मे मुख्यालय से पत्राचार कर निर्देश प्राप्त किया जाएगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः 243.761हजार लीटर केरोसिन तेल अवितरित/अनिस्तारित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक -A

केरोसीन तेल का मासिक उठान/वितरण

वर्ष 2019-20

	koil					
	आवंटन	प्रा० शेष	उठान	योग	वितरण	अवशेष
Apr-19	0	255.761	0	255.761	0	255.761
May-19	0	255.761	0	255.761	0	255.761
Jun-19	360	255.761	0	255.761	5.8	249.961
Jul-19	0	249.961	0	249.961	4.8	245.161
Aug-19	0	245.161	0	245.161	0	245.161
Sep-19	0	245.161	0	245.161	1.2	243.961
Oct-19	0	243.961	0	243.961	0.2	243.761
Nov-19	0	243.761	0	243.761	0	243.761
Dec-19	0	243.761	0	243.761	0	243.761
Jan-20	0	243.761	0	243.761	0	243.761
Feb-20	0	243.761	0	243.761	0	243.761
Mar-20	0	243.761	0	243.761	0	243.761
			0	2970.332	12	243.761

STAN

प्रस्तर 01: भारत सरकार के निर्देश के बावजूद राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन खाद्यान्न वितरित करने मे असफल रहने का प्रकरण।

As per Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Food and Public Distribution New Delhi vide D.O. letter No 23(Uttaranchal)/2012-comp.cell, dated 15 may 2019 it was decided in the meeting and subsequent discussions with chief secretary of State Government that department will ensure electronic capturing of food grains distribution only through devices installed at Fair price shop and immediately issue necessary instructions to stop the manual mode of transactions. it was also noticed that about 5 percent ration cards (RCs) have to be digitized in the state (as on 15 May 2019). It was requested to take immediate action to digitize all such ration cards and generate proper allocation orders by taking all digitise RCs in online allocation. The manual allocation and distribution of food grains against non digitized RCs should be restricted with effect from June 2019.

एफ़पीएस ऑटोमेशन जिला हरिद्वार के राशन की दुकानों को सीएससी सीपीबी (सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप मे) के माध्यम से औटोमेशन किया गया है तथा जुलाई 2018 से आनलाइन राशन वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला हरिद्वार मे विभिन्न श्रेणियों ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰ तथा एस॰ एफ़॰ वाई॰ के कार्ड धारको की संख्या क्रमशः 36441, 202415 एवं 156676 (जुलाई 2019) तथा 35939, 209761 एवं 163476 (जुलाई 2020) थी। लेखापरीक्षा जांच मे जुलाई 2019 से सितंबर 2019 एवं जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के ऑनलाइन राशन वितरण के आकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

Percentage of RCs holder who were provided ration through online mode.

Month	No of RCs			Online Distribution of Ration			Percentage		
	AAY	PHH	SFY	AAY	PHH	SFY	AAY	PHH	SFY
07/2019	36441	202415	156676	16106	71605	14133	44	35	9
08/2019	36500	202468	157777	18111	83784	15817	50	41	10
09/2019	36504	202271	158406	18758	91229	18238	51	45	12
07/2020	35939	209761	163476	27852	154751	71029	77	74	43
08/2020	35845	210266	163015	27212	145385	70314	76	69	43
09/2020	36246	212399	165353	28064	154627	70423	77	73	43

Increase in percentage of RCs holder who were given ration in the electronic mode over a period of one year.

Month	AAY	PHH	SFY	Month	AAY	PHH	SFY	Increase in percentage		
								AAY	PHH	SFY
07/2019	44	35	9	07/2020	77	74	43	33	39	34
08/2019	50	41	10	08/2020	76	69	43	26	28	33
09/2019	51	45	12	09/2020	77	73	43	26	28	31

जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तथा जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के राशन कार्ड धारको के ऑनलाइन खाद्द वितरण मे कोई उल्लेखनीय अंतर नही पाया गया जुलाई 2019 की तुलना मे जुलाई 2020 मे ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰, एस॰ एफ़॰ वाई॰ मे 33, 39 तथा 34 % की बढ़ोतरी हुई इसी प्रकार अगस्त 2019 की तुलना मे अगस्त 2020 मे क्रमशः 26, 28 तथा 33 % तथा sep19 की तुलना मे sep 2020 मे 26, 28 तथा 31 % की बढ़ोतरी दर्ज की गयी । यहाँ यह उल्लेखनिए है कि विभाग sep 2020 तक 80% राशन कार्ड धारको का ऑनलाइन राशन वितरण करने मे असफल रहा जबकि 05/2019 के बाद manual mode से वितरण नही किए जाने के आदेश थे। कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न राशन कार्ड धारको ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰, तथा एस॰ एफ़॰ वाई॰ मे 23, 27 तथा 57 % को 09/2020 तक manual mode से ही राशन का वितरण किया गया ।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे अवगत कराया कि खाद्यान्न वितरण जनहित से जुड़ा हुआ बहुत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। 7/2020, 8/2020, 9/2020 के महीनों मे स्पष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बंध मे निर्देशित किया गया था कि जरूरतमंदों को खाद्यान्न अवश्य वितरित किया जाए। अतः अवगत कराना है कि कुछ स्थानों पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण खाद्यान्न वितरण मैनुअल-मोड मे करना कार्यालय की विवशता होती है, क्योंकि इस हेतु लाभार्थियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों (ग्रामप्रधान/एमपी/एमएलए इत्यादि) का भी दबाव रहता है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बंध मे भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था । जबकि सितंबर 2020 तक कार्यालय 80 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन खाद्यान्न वितरित करने मे असफल रहा।

अतः भारत सरकार के निर्देश के बावजूद राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन खाद्यान्न वितरित करने मे असफल रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
SS/76/2004-05	0	प्रस्तर-2	0
SS/08/2002-03	0	प्रस्तर-1	0
SS/02/1993-94	प्रस्तर-1	0	0
SS/96/2018-19	0	प्रस्तर-1	स्टैन-1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध मे अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या सीधे ही प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

इकाई द्वारा COVID-19 आपदा के दौरान जिलाधिकारी, हरिद्वार के अनुश्रवण मे प्रवासी मजदूरों एवं जनसामान्य को त्वरित खाद्यान्न वितरित किया गया।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री राहुल शर्मा	उपायुक्त	11.03.2019 तक
2	श्री बचन सिंह रावत	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	12.03.2019 से 10.06.2019 तक
3	श्री के0 के0 अग्रवाल	जिला पूर्ति अधिकारी	1.06.2019 से वर्तमान (01/2021) तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (एएमजी-1) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-1